

वादी ने एक बाद जरिये वकील अन्तर्गत
घारा 53, 188 रजिस्ट्रार कारतकारी
अधिनियम को तहत पेटा किया जो दल
रजिस्टर किया जावे । प्रतिकारी की
तलबी जरिये नमान की जावे । निराल
दिनांक 11/10/19 को पेटा हो ।

साहायक कलेक्टर, बाप

31/10/19

पञ्जाबली पेश हुई। वकील वादीनी ईर हाकिम।
वकील वादीनी एवं वादीनी को न्यायालय में
सिर्फ के कुछ-कुछ ही आवाजें लगवाई गई।
परन्तु न ही वादीनी ईर न ही ईर की कोर
सिर्फ वकील अरिमत को । लिखना वादीनी
का वाद अदद हाथी को अदद ईरवी में
स्वारिक किया जाता है जिसके फल में
कोई कारिवाल कोर ही नम्बर लिखे हो।

(महावीर सिंह)
WAS.